

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)

3331

पृष्ठांकन क्र. / दो-22-1/86,

सीहोर, दिनांक 19-12-2025

प्रतिलिपि:- यथानिर्देशानुसार।

- 1 समस्त न्यायिक अधिकारीगण,
सीहोर, आष्टा, नसरुल्लागंज, इछावर एवं बुदनी
- 2 प्रशासनिक अधिकारी / उप-प्रशासनिक अधिकारी / लेखापाल / सहायक लेखापाल, कार्यालय
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर
- 3 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सीहोर / आष्टा / नसरुल्लागंज / बुदनी
- 4 की ओर स्वीकृत शीतकालीन अवकाश वर्ष 2025 का, विविध आदेश क्र. 58 दिनांक 19.12.2025
की छायाप्रति सूचनार्थ प्रेषित।
- 5 प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर की ओर इस निर्देश के साथ की प्रेषित
की, उक्त विविध आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष अवलोकन
हेतु प्रस्तुत करें।
- 6 जे.एस.ए., कम्प्यूटर अनुविभाग, सीहोर की ओर उक्त विविध आदेश की छायाप्रति इस निर्देश के
साथ प्रेषित की वह उक्त समस्त न्यायिक अधिकारियों को उनकी ई-मेल आई. पर प्रेषित करें।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीहोर (म.प्र.)

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)**// आदेश //**

क्रमांक 58/दो-22-1/86

सीहोर, दिनांक : 19/12/25

इस न्यायिक जिले में निम्नांकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 3 में वर्णित दिनांकों का वर्ष 2025 के लिये शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है, उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य का प्रभार कॉलम नं.6 में दर्शाए अनुसार पदाधिकारी के पास रहेगा:-

क्रं.	अधिकारी का नाम एवं पद	स्वीकृत शीतकालीन अवकाश	कुल अवकाश	पूर्ववर्ती/पश्चात्पूर्वी अवकाश एवं मुख्यालय अनुमति	अनुपस्थिति में प्रभार	शीतकालीन अवकाश में उपस्थित
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री हेमंत जोशी, विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी) सीहोर	दि. 29.12.25 से 31.12.25 तक	03 दिवस	दि. 27.12.25 के न्यायालय समय पश्चात् से दि. 02.01.2026 के न्यायालय समय पूर्व तक,	1.प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर 2.द्वितीय जिला एवं अति. न्यायाधीश, सीहोर	1.श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर, 2.श्री महेश कुमार वर्मा, न्यायाधीश, सीहोर
2	श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर, तृतीय जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, सीहोर	दि. 24.12.25 एवं 26.12.25 से 27.12.25 तक	03 दिवस	दि. 23.12.25 के न्यायालय समय पश्चात् से दि. 29.12.2025 के न्यायालय समय पूर्व तक,	1.विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी), सीहोर 2.द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	1.श्री हेमंत जोशी, 2.श्री महेश कुमार वर्मा, (दि. 24.12.25)
3	श्री महेश कुमार वर्मा, द्वितीय जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, सीहोर	दि. 26.12.25 से 27.12.25 तक	02 दिवस	दि. 24.12.25 के न्यायालय समय पश्चात् से दि. 29.12.2025 के न्यायालय समय पूर्व तक,	1.विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी), सीहोर	1.श्री हेमंत जोशी,
4	श्री विजय डांगी, द्वितीय जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, आष्टा	दि. 29.12.25 से 31.12.25 तक	03 दिवस	दि. 27.12.25 के न्यायालय समय पश्चात् से दि. 02.01.2026 के न्यायालय समय पूर्व तक,	1.प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा 2.मुख्यालय सीहोर में उपस्थित वरिष्ठतम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश,	1.श्री महेश कुमार चौहान,
5	श्री महेश कुमार चौहान, प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, आष्टा	दि. 26.12.25 से 27.12.25 तक	02 दिवस	दि. 24.12.25 के न्यायालय समय पश्चात् से दि. 29.12.2025 के न्यायालय समय पूर्व तक,	1.द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा 2.मुख्यालय सीहोर में उपस्थित वरिष्ठतम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश,	1.श्री विजय डांगी,
6	श्रीमती उषा तिवारी, प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज	दि. 26.12.25 से 27.12.25 तक	02 दिवस	दि. 24.12.25 के न्यायालय समय पश्चात् से दि. 29.12.2025 के न्यायालय समय पूर्व तक,	1.तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज 2.जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी	1.श्री आसिफ अहमद अब्बासी,
7	श्री आसिफ अहमद अब्बासी, तृतीय जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज	दि. 29.12.25 से 31.12.25 तक	03 दिवस	दि. 29.12.25 से दि. 02. 01.2026 के न्यायालय समय पूर्व तक,	1.प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज 2.मुख्यालय सीहोर में उपस्थित वरिष्ठतम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश,	1.श्रीमती उषा तिवारी,
8	डॉ. वैभव विकास शर्मा, जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी	दि. 29.12.25 से 31.12.25 तक	03 दिवस	दि. 27.12.25 के न्यायालय समय पश्चात् से दि. 02.01.2026 के न्यायालय समय पूर्व तक,	1.प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज 2.मुख्यालय सीहोर में उपस्थित वरिष्ठतम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश,	-

नोट:-

1- उपरोक्त कार्यव्यवस्था अनुसार कॉलम न0-2 में उल्लेखित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश का प्रभार कॉलम न0-6 के कम में उल्लेखित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश के पास रहेगा और यदि किसी अपरिहार्य कारण से कॉलम न0-6 में उल्लेखित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो तहसील एवं जिला मुख्यालय सीहोर में उपलब्ध वरिष्ठतम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश के पास कॉलम न0-2 में उल्लेखित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश का प्रभार होना स्वतः माना जायेगा।

2- उपरोक्त जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश द्वारा उक्त वर्णित शीतकालीन अवकाश के अलावा शीतकालीन अवकाश अवधि (24. 12.2025 से 31.12.2025 तक) में यदि कोई अन्य अवकाश का उपभोग किया जाता है तो वे पूर्व अनुमति के बिना ऐसे किसी अन्य अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

3- शीतकालीन अवकाश का उपभोग करने हेतु जाने वाले जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीशों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अवकाश का उपभोग प्रारंभ करने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि कार्यव्यवस्था के अंतर्गत उनके नाम के सम्मुख कॉलम न0-6 में दर्शित जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश मुख्यालय में उपस्थित हो चुके हैं।

4- शीतकालीन अवकाश अवधि में उपरोक्त वर्णित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश में से किसी भी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण होने पर उनके स्थान पर पदस्थापित होने वाले जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश का नाम (मात्र कॉलम न0-6 प्रभार के कॉलम में) उस न्यायिक अधिकारी के नाम के समक्ष स्वतः प्रतिस्थापित माना जायेगा जिनके स्थान पर नवीन पदस्थापित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है।

5- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर के शीतकालीन अवकाश की अवधि में उनके न्यायालय का कार्य मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर एवं इनकी अनुपस्थिति में तहसील न्यायालय में उपस्थित वरिष्ठतम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश द्वारा संपादित किया जावेगा।

6- उक्त शीतकालीन अवकाश अवधि में सिविल प्रकृति का आवश्यक कार्य सिविल कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 12 दिनांक 17.02.2025 के अनुसार संपादित किया जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीहोर (म.प्र.)